निर्णय व इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 223/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

होटल हाईवे किंग जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता शत्रुघन शर्मा पुत्र श्री घीसालाल शर्मा जाति ब्राह्मण हाल निवासी ग्राम बहडौदा, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1. डॉ॰ सत्यवीर यादव पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली जिला जयपुर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार विराटनगर जिला जयपुर।
3. भू–अभिलेख निरीक्षक भाबरू, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर।
4. पटवारी, पटवार हल्का ढाणी गैसकान, तहसील विराटनगर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 54 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956, विरूद्व डॉ॰ सत्यवीर सिंह यादव आर ए एस पीठासीन अधिकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कोटपूतली जिला जयपुर अपील संख्या 46/2019 (पुराना 29/2015) व उनवानी होटल हाईवे किंग बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः–

1. श्री राजाराम चौधरी अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 08.12.2020

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष अपील संख्या 46/2019 (पुराना 29/2015) व उनवानी होटल हाईवे किंग बनाम राजस्थान सरकार व अन्य विचाराधीन है। जिसमे स्थानीय ग्राम के कुछ असामाजिक लोग एवं सरपंच/पंचों ने मिल कर एक नाजायज गिरोह बना रखा है जो बाहर से आकर व्यवसाय करने वालें लागों को अनावश्यक रूप से परेशान कर धन एंठने का काम करते है, नहीं देने पर अनावश्यक शिकायतें वगैरह करते रहते है। प्रार्थी की भी एस डी ओ विराटनगर के समक्ष लोक अदालत कैम्प जयसिंहपुरा में फर्जी शिकायत कर खसरा नम्बर 350 व गैर मुमकिन नाले में अतिक्रम बताकर तहसीलदार विराटनगर पर अनावश्यक दबाव बना कर प्रार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही एक तरफा आदेश दिनांक 7.7.2015 को करवा लिया। उपरोक्त इकतरफा आदेश दिनांक 7.7.2015 की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा अपील अतिरिक्त जिला

जिला कलक्टर
जयपुर

कलक्टर कोटपूतली के समक्ष की गई । प्रार्थी द्वारा अपनी खातेदारी व संपरिवर्तन भूमि का सीमाज्ञान ई डी एम मशीन द्वारा करवाये जाने एवं खर्चा स्वयं प्रार्थी द्वारा वहन करने हेतु निवेदन किया । जिस पर दिनांक 7.7.2015 को अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा आदेश पारित कर तहसीलदार विराटनगर को तहरीर जारी की गई तथा नायब तहसीलदार विराटनगर द्वारा दिनांक15.10.2016 को अपील का जबाब प्रस्तुत किया गया। पत्रावली वास्ते सीमाज्ञान ई डी एम मशीन द्वारा विचाराधीन थी इसी दौरान असामाजिक लोगों द्वारा तहसीलदार पर विधायक महोदय से दबाव बनावा कर ई डी एम मशीन से सीमाकन करवाये बिना ही बाला बाला नायब तहसीलदार की अध्यक्षता में राजस्व कर्मियों की टीम का गठन कर खनिज विभाग के सर्वेयर से जी पी एस मशीन द्वारा बिना प्रार्थी की उपस्थिति में मौका रिपोर्ट अपनी मर्जी से बनवा कर दिनांक 01.10.2019 को भिजवा दी जिसमें खनिज विभाग के सर्वेयर द्वारा स्पष्ट अंकित किया गया कि एक मीटर का अन्तर आ सकता है। राजस्व नक्शे में एक मीटर का अन्तर बहुत बडा होता है इसके बावजूद भी अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली पर विधायक महोदय द्वारा बार बार दबाव बना कर प्रार्थी के विरूद्व फैसला किये जाने हेतु कोशिश कर रहे है। प्रार्थी द्वारा अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय से सीमांकन ई डी एम मशीन से करवाये जाने हेतु निवेदन करने पर स्वयं अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय भी अपने उपर विधायक व अन्य स्थानीय व्यक्तियों का दबाव होना जाहिर किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास माननीय न्यायालय के समक्ष मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही है। उपरोक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी महोदय अत्यन्त रूचि लेकर कार्य कर रहे है जैसा कि उनका स्वयं का उक्त प्रकरण में हित निहत हो। प्रकरण को बिना ट्रायल किये विधिक प्रावधानों को नजर अन्दाज करते हुये प्रार्थी के विरूद्व निर्णय करने की चेष्टा में है। पीठासीन अधिकारी द्वारा उनके न्यायालय में मुकदमो का अम्बार होने के बावजूद भी प्रस्तुत प्रकरणों में पास पास की तारीख दे कर तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर उसी दिन बहस हेतु पत्रावली को रोकने में स्वयं का हित होना स्पष्ट संकेत देता है। इसलिए भी प्रार्थी को पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने की कोई उम्मीद नही है। न्याय का मूलभूत सिद्वान्त है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिये अपितु किया हुआ सा प्रतीत भी होना चाहिये। इस दृष्टिकोण से भी पीठासीन अधिकारी के समक्ष विचाराधीन अपील को मुन्तकिल किया जाना न्यायहित में आवश्यक है जिससे कि प्रार्थी को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके। उक्त कारणों की वजह से प्रार्थी को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली से न्याय प्राप्त होने की कोई सम्भावना नही है। इसलिए न्याय हित में आवश्यक है कि उपरोक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया जावे जिससे प्रार्थी को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके। ऐसा कथन अंकित कर उक्त प्रकरण को अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। बहस प्रार्थी अधिवक्ता की सुनी गई।

जिला कलक्टर
जयपुर

3. प्रार्थी के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. यद्वपि अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के पीठासीन अधिकारी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है, किन्तु प्रार्थी ने अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने पर शंका जाहिर की है। न्याय का नैसर्गिक सिद्वान्त है कि न्याय किया जाना ही आवश्यक नहीं है, बल्कि न्याय किया गया है, ऐसा लगना भी चाहिये। न्याय की इसी भावना को मध्यनजर रख कर मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अन्य न्यायालय में मुन्तकिल किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

5. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 46/2019 पुराना 29/2015 ब उनवानी होटल हाईवे किंग बनाम राजस्थान सरकार व अन्य को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम में मुन्तकिल किया जाता है।

6. पक्षकारान न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम में सुनवाई हेतु दिनांक 28.12.2020 को उपस्थित हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रथम प्रकरण दर्ज कर उभयपक्ष को गुणावगुण एवं मैरिट पर सुन कर प्रकरण का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

7. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा अतिरिक्त जिला कलक्टर कोटपूतली व अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

8. निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

8/12/2020

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर